दां.प्र.क्र.759/22 शासन वि. श्याम लाल

Witness No......01......for......अभियोजन साक्षी......Deposition taken

the......23-08-2024......day of......Witness's apparentage......32......

States of affirmation......शपथपूर्वक......my name is......येसर कुमार लहरे......

son of......झाडूराम......occupation......किसानी......

address......साकिन भुरसीडीह, थाना डभरा, जिला सक्ती (छ०ग०)......

प्रारंभ समय 12:25 बजे।

01– मै आरोपी को नही जानता हूॅ ।

02– पुलिस वाले मेरे समक्ष कोइ कार्यवाही नही किये थे । पुलिस वाले मेरे समक्ष कोई सामान जप्त नही किये थे। साक्षी ने मुखबीर सूचना पंचनामा **प्र०पी० 01,** धारा 160 का नोटिस **प्र०पी०–2,** जामा तलासी **प्र०पी०–3,** तलासी पंचनामा **प्र०पी०–4,** जांच पंचनामा **प्र०पी०–5,** जप्ती पत्रक **प्र०पी० 6,** गिरफ्तारी पत्रक **प्र०पी०–7,** नजरी नक्शा **प्र०पी–8,** मकान आधिपत्य पंचनामा **प्र०पी० 9** के अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।

टीपः– अभियोजन द्वारा उपस्थित साक्षी को धारा 154 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गयी, अभिलेख अवलोकन बाद अनुमति दी गई।

03– यह कहना गलत है कि **दिनांक 10–06–2022 को 05.00 बजे ग्राम किरारी में आबकारी पुलिस वाले मेरे सामने आरोपी के रिहायसी मकान से एक 05 लीटर क्षमता की पीले प्लास्टिक जरिकेन मे भरा एक 4 लीटर कच्ची महुआ शराब** जप्त किये थे।

04– यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किये थे। यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष आरोपी को गिरफतार किये थे। यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष समस्त पंचनामा कार्यवाही किये थे। यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे

समक्ष घटना स्थल का नक्शा तैयार कर आरोपी के मकान के संबंध् में पंचनामा तैयार किये थे। यह कहना गलत है कि मै आरोपी के दबाव मे आकर आज न्यायालय मे झुठा कथन कर रहा हूॅ । साक्षी को पुलिस कथन प्र०पी०–10 का अ से अ भाग का कथन पढ़कर सुनाये जाने पर उक्त कथन पुलिस को देने से इंकार किया। यह कहना गलत है कि मै मै जब दस्तावेजो पर हस्ताक्षर किया था तब आरोपी वहा पर उपस्थित थी ।

//प्रतिपरीक्षण वास्ते अभियुक्त सहित श्री मनोज जायसवाल अधिवक्ता उप.//

05– यह कहना सही है कि पुलिस वाले मुझसे कोरे दस्तावेजो पर हस्ताक्षर लिये थे। क्यो कराये थे, इसका कारण् नही बताये थे। यह कहना सही है कि मेरे समक्ष कोइ कार्यवाही नही किये थे। यह कहना सही है कि घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नही है, पुलिस के कहने पर मैने कोरे दस्तावेजो पर अपना हस्ताक्षर किया था, उक्त दस्तावेजो पर क्या लिखा था, इसकी जानकारी मुझे नही है। यह कहना सही है कि पुलिस वालो ने मुझे नोटिस देकर नही बुलाया था। यह कहना सही है कि जिस समय मैने दस्तावेजो पर हस्ताक्षर किया था, उस समय आरोपी वहा पर उपस्थित नही था।

(प्रति परीक्षण समाप्ति समय 12:30 बजे)

वाचित सहित स्वीकृत।
सही/–
श्रीमती गंगा पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर चांपा छ.ग.

मेरे निर्देशन पर टंकित
सही/–
श्रीमती गंगा पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर चांपा छ.ग.